Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order) FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from 63-Bansur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Devi Singh Shekhawat

vpo gyanpura tehsil narayanpur district kotputli-behror [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : ALWAR Date : 03-12-2023

(Rahul Saini)
Returning Officer

GET 063-Bansur HA

Legislative Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। 063- बानसूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री देवी सिंह शेखावत (नाम) ग्राम पोस्ट ज्ञानपुरा तहसील नारायणपुर जिला कोटपुतली-बहरोड़ (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं। स्थान- अलवर

दिनांक- 03 दिसम्बर, 2023

(राहुल सैनी) रिटर्निंग अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर 063- बानसूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र